

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1692] No. 1692] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 18, 2013/आषाढ़ 27, 1935

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 18, 2013/ ASHADHA 27, 1935

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2013

का.आ. 2198(अ).—यत: यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली के मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खण्ड-44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 8 अक्तूबर, 2010 की सं. का.आ. 2456(अ) के तहत सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/ सुझाव आमंत्रित किए गए।

- 2. यत: प्रस्तावित संशोधन के संबंध में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया है; और
- 3. यत: केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली के मास्टर प्लान-2021/जोनल विकास प्लान में संशोधन करने का निर्णय लिया है।
- 4. अत:, अब उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 जोनल विकास प्लान में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।

3179 GI/2013 (1)

संशोधन :

		٠	0	0-	-
क्र.स.	स्थान	क्षेत्र	भू-उपयोग (एमपीडी-2021)	भू उपयो परिवर्तन	ग सीमाएं
			(रमपाडा-2021) और जेडडीपी-जोन-	। पारपतन	
			एन		
1	पश्चिमी यमुना	2.0	मनोरंजनात्मक	औद्योगिक	पूर्वोत्तर- पश्चिमी यम्ना
'	केनाल से अर्बन	2.0	(जीएआईएल पाइप	Siraniera	कनाल
	एक्सटेन्शन रोड -।		लाइन)		दक्षिण पूर्व-औद्योगिक
	तक गैस पाइपलाइन		(ବାର୍ମ <i>)</i>		उत्तर पश्चिम-औद्योगिक
	के साथ-साथ				दक्षिण पश्चिम -औद्योगिक
2	पश्चिमी यमुना	2.88	उ पयोगिता	औद्योगिक	पूर्वोत्तर - पश्चिमी यमुना
2	केनाल के साथ-साथ	2.00	. ડવવાાગતા	जायाणप	कनाल
	प्रणाल पर साय साय				दक्षिण पूर्व-औद्योगिक
					उत्तर पश्चिम-औद्योगिक
					दक्षिण पश्चिम -औद्योगिक
3	40 मी. चौड़ी सड़क	3.60	उ पयोगिता	औद्योगिक	पूर्वोत्तर - मनोरंजनात्मक
	पर	0.00			दक्षिण पूर्व-सार्वजनिक और
					अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाएं
					उत्तर पश्चिम-औद्योगिक
					दक्षिण पश्चिम-४० मी.
					आर/डब्ल्यू, औद्योगिक
4	40 मी. चौड़ी सड़क	1.29	उ पयोगिता	औद्योगिक	पूर्वोत्तर पश्चिम- औद्योगिक
	के साथ-साथ				दक्षिण पूर्व- सडक 40 मी.
					आर/डब्ल्यू उत्तर पश्चिम-
					औद्योगिक
					दक्षिण पश्चिम -सड़क 40 मी.
					आर/डब्ल्यू
5	40 मी. चौड़ी सड़क	0.1	उपयोगिता	परिवहन	पूर्वीत्तर - उपयोगिता
	के साथ-साथ			(सर्कुलेशन सड़क)	दक्षिण पूर्व-सड़क 40 मी.
					आर/डब्ल्यू
					उत्तर पश्चिम- औद्योगिक
					दक्षिण पश्चिम -उपयोगिता
6	बवाना-औचंडी सड़क	3.2	औद्योगिक	परिवहन(सर्कुलेशन	
	के सटी पाकेट में			सड़क)	दक्षिण पूर्व- औद्योगिक
					उत्तर पश्चिम-औद्योगिक
					दक्षिण पश्चिम -औद्योगिक
7	बवाना औचंडी सड़क	2.5	औद्योगिक	व्यावसायिक .	पूर्वोत्तर - औद्योगिक
	से सटी पॉकेट में			(सामुदायिक केन्द्र	· ·
					उत्तर पश्चिम-व्यावसायिक
					दक्षिण पश्चिम -

					मनोरंजनात्मक
8	बवाना औचंडी सड़क	0.1	मनोरंजनात्मक	परिवहन	पूर्वोत्तर - औद्योगिक
	के साथ-साथ			(सर्कुलेशन- सड़क)	दक्षिण पूर्व- बवाना औचंडी
					सड़क 60 मी आर/डब्ल्यू
					उत्तर पश्चिम-औद्योगिक
					दक्षिण पश्चिम -
					बवाना औचंडी सड़क 60 मी.
					आर/डब्ल्यू

[सं. के-13011/16/2013-डीडी-।] सूनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (Delhi Division) NOTIFICATION

New Delhi, the 18thJuly, 2013

- **S.O.** 2198(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan/Zonal Development Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. 2456(E) dated 8th October, 2010 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.
- 2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Delhi Development Authority; and
- 3. Whereas the Central Government has, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan of Delhi 2021/Zonal Development Plan.
- 4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021/Zonal Development Plan with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification:

SI. No.	Location	Area (Ha)	Land use (MPD-2021) and ZDP- Zone-N	Land use changed to	Boundaries
1.	Along GAIL Pipeline from Western Yamuna Canal to Urban Extension Road-I	2.0	Recreational (GAIL pipeline)	Industrial	North East- Western Yamuna Canal South East- Industrial North West- Industrial South West- Industrial
2.	Along Western Yamuna Canal	2.88	Utility	Industrial	North East- Western Yamuna Canal South East- Industrial North West- Industrial South West- Industrial
3.	On 40 m wide Road	3.60	Utility	Industrial	North East- Recreational South East- Public & Semi-Public Facilities North West- Industrial South West- 40 m R/W,

		l			
					industrial
4.	Along 40 m wide Road	1.29	Utility	Industrial	North East- Industrial South East- Road 40 m R/W North West- Industrial South West- Road 40 m R/W
5.	Along 40 m wide Road	0.1	Utility	Transportation (Circulation- Road)	North East- Utility South East- Road 40 m R/W North West- Industrial South West- Utility
6.	In Pocket adjoining Bawana-Auchandi Road	3.2	Industrial	Transportation (Circulation- Road)	North East- Industrial South East- Industrial North West- Industrial South West- Industrial
7.	In Pocket adjoining Bawana-Auchandi Road	2.5	Industrial	Commercial (Community Centre)	North East- Industrial South East- Industrial North West- Commercial South West- Recreational
8.	Along Bawana Auchandi Road	0.1	Recreational	Transportation (Circulation- Road)	North East- Industrial South East- Bawana Auchandi Road 60 m R/W North West- Industrial South West- Bawana Auchandi Road 60 m R/W

[No. K-13011/16/2013-DD-I] SUNIL KUMAR, Under Secy.